

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:सेवा संतोषजनक प्रमाण—पत्र:—

:: प्रारूप—6 ::

राजस्थान शिक्षा सेवा (स्कूल शिक्षा) प्राध्यापक श्री मंगल राम मीना (शा0शि0) का, इस कार्यालय के आदेशांक शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/सेवानिवृत्त/2016 दिनांक 22.02.16 द्वारा सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया गया था, तात्कालिक समय में उक्त कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही लंबित रहने के चलते प्रारूप-6 जारी नहीं किया गया था। इसी क्रम में विभागीय जांच की कार्यवाही समाप्ति पश्चात के आदेशांक: शिविरा/माध्य/वि0 जाँच / 11158 /एम-161)/2015/136-137 दिनांक 26.2.2021 द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री मंगल राम मीना (शा0शि0) के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम- 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है (पूर्व जांच के परिणामस्वरूप उक्त कार्मिक को देय पेंशन राशि का 05 प्रतिशत भाग 2 वर्ष के लिए रोका जाना है।)
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) के नियम- 19 के अधीन कोई प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



✓

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-5/सेवानिवृत्ति/2020-21/420

दिनांक:- 06/07/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
3. संबंधित जिला शिक्षा (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. संबंधित प्रधानाचार्य...../ संबंधित कार्मिक.....
7. रक्षित पत्रावली/गार्ड फंजिका।

341

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर